

फा.सं.टीए-2-01001/2/2024-टीए-सीजीए (ई-17339)/341

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

महालेखा नियंत्रक कार्यालय

महालेखा नियंत्रक भवन

जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ई-ब्लॉक, आईएनए, नई दिल्ली-110023

दिनांक 26.09.2024

शुद्धि पर्ची संख्या 01

विषय : सिविल लेखा मैनुअल संशोधित चतुर्थ संस्करण 2024 में संशोधन।

सीएएम का मौजूदा संदर्भ	संशोधन
पैरा 7.20.5 (क)	शब्द “(-) क्रेडिटकिया गया” को शब्द “डेबिटकिया गया” से प्रतिस्थापित किया जाए।
पैरा 7.20.1 (iv) तथा 7.20.5 (क) से (ग)	शब्द “पीएफडीआरए” को शब्द “पीएफआरडीए” से प्रतिस्थापित किया जाए।

यह महालेखा नियंत्रक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(नरेन्द्र सिंह)

सहायक महालेखा नियंत्रक (टीए)

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (प्रभार)
2. महानिदेशक (सरकारी.ए/सीएस), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
3. सीसी (पेंशन), सीपीएओ, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, त्रिकूट -II, भीकाजी कामा प्लेस, आरके पुरम, नई दिल्ली
4. लेखा निदेशक, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह/दादर और नगर हैवली तथा दमन और दीव/लक्षद्वीप तथा लद्दाख।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन।
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय/निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. वेतन एवं लेखा कार्यालय (लेखापरीक्षा), महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, एजीसीआर भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-2
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आईटीडी), महालेखा नियंत्रक कार्यालय - शुद्धि पर्ची को महालेखा नियंत्रक कार्यालय की वेबसाइट पर अद्यतन करने के लिए

प्रति इन्हे भी सूचनार्थ प्रेषित:

1. अपर महालेखा नियंत्रक (पीएफएमएस)
2. अपर महालेखा नियंत्रक (एचआरएंडओ)
3. अपर महालेखा नियंत्रक (एएंडएफआर)
4. संयुक्त महालेखा नियंत्रक (जिफमिस)
5. संयुक्त महालेखा नियंत्रक (एआरपीआर)